(36)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 6 (18) राज-6/99 जयपुर, दिनांक : 23.9.99

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 90-ख के अन्तर्गत व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि में, के अधिकारों का पर्यवसन एवं पुर्नग्रहण की कार्यवाही हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत समस्त तहसीलदारों को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर की धारा 56 की उप-धारा (ii) में अधिकृत अभिकर्त्ता के कर्त्तव्यों का निर्वहन हेतु एतद्द्वारा निर्देश देती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

(46)
(85)